न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री,R.A.S.

प्रकरण संख्या – 06/2019 अपील/प्रतापगढ़
पंजीयन दिनांक– 08.01.2019
निर्णय दिनांक– 19.07.2019

1. श्री नानूराम पिता फूलजी मीणा
2. श्री सुग्रीव पिता फूलजी मीणा निवासीयान मोबारखेडी तसहील अरनोद जिला प्रतापगढ़ (राजस्थान)

..... अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्रीमती होमली पुत्री नागजी मीणा निवासी भेरूखांकरा तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ़
2. श्रीमती अंजना पुत्री नागजी मीणा निवासी पिगथली तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ़

.....रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितः–

श्री भगवानलाल पालीवाल : अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री मुरलीधर पालीवाल : अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 2

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट–1956
विरूद्ध न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, प्रतापगढ़
के प्रकरण संख्या 01/2017 निर्णय दिनांक 07.05.2018

निर्णय

दिनांकः 19.07.2019

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा–76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ के प्रकरण संख्या 01/2017 निर्णय दिनांक 07.05.2018 के विरूद्ध दिनांक 03.10.2018 को धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र के साथ पेश की गई है।

इस प्रकरण के प्रस्तुत अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा ग्राम मोबाखेडी तहसील अरनोद के नामान्तरकरण संख्या 91 दिनांक 20.06.2010 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में विवादग्रस्त भूमिया

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के द्वारा अपने नाम दर्ज करा लिये जाने एवं अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट अनुसूचित जनजाति संवर्ग के सदस्य होकर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होने से पैतृक भूमियों में परम्परागत कानून अनुसार पुत्रीयों का अधिकार सृजित नहीं होता है, भूमि अपने नाम दर्ज कराने हेतु अपील प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 07.05.2018 से खातेदार नागजी की मृत्यु उपरांत विवादग्रस्त भूमिया रेस्पोडेन्टगण के नाम प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकार स्वरूप उनकी पुत्रीयों के नाम दर्ज करना मानते हुए प्रश्नगत प्रकरण में कस्टमरी लॉ का प्रभाव लागू नहीं किया सकता, क्योंकि प्रचलित विधियों अंतर्गत कानून की विधिवत मान्यता वर्तमान तक प्राप्त नहीं हुई है एवं अपील अपीलान्ट खारिज की गई। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत की गई।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री भगवानलाल पालीवाल एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर अधिवक्ता श्री मुरलीधर पालीवाल उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 बावजूद सूचना के अनुपस्थित है।

उभय पक्षों की बहस दिनांक 17.07.2019 को सुनी गई। सर्वप्रथम मियाद अधिनियम प्रार्थना–पत्र धारा 5 पर सुना गया। प्रकरण में अखण्डित शपथ–पत्र व न्यायहित में मियाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए निवेदन किया कि अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता। नागजी की मृत्यु होने पर मृतक के भाई के लडके अपीलान्ट के नाम नामान्तरकरण दर्ज किया जाना चाहिये था। अपील स्वीकार की जाये। इसके विरूद्ध वकील रेस्पोडेन्ट के द्वारा ने न्यायिक नजीरे आरबीजे (22)2015 पेज 232 जिसमें अनुसूचित जनजाति में पुत्रियों को अधिकार होना वर्णित किया गया है तथा एआईआर 2016 हिमाचल प्रदेश पेज 58, जिसमें हिमाचल में अनुसूचित जनजाति में पुत्रियों को अधिकार होना वर्णित किया गया है, पेश की । इन नजीरों के साथ वकील रेस्पोडेन्ट ने निवेदन किया कि अनुसूचित जनजाति में पुत्र नहीं होने पर पुत्रियों को उत्तराधिकार से वंचित किये जाने का कोई विधिक प्रावधान नहीं है। अपील अपास्त की जाये।

हमारे द्वारा पत्रावली में उभय पक्ष की प्लीडिंग्स, पत्रावली के रेकर्ड, बहस एवं पेश शुदा न्यायिक नजीरों का अवलोकन कर मनन किया, तो यह पाया कि अपीलान्ट की अपील मूल रूप से अनुसूचित जनजाति में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2(2) के अनुसार उक्त अधिनियम अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होने के कारण पुत्रियों का मृतक की सम्पति में अधिकार नहीं होने तथा मृतक के भतीजों को विवादित सम्पति का उत्तराधिकार दिये जाने का क्लेम है। पेश शुदा न्यायिक नजीरों व संबंधित कानूनों का अवलोकन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि अनुसूचित जनजाति में भी यदि मृतक के पुत्रियॉ उपलब्ध है तो उन्हें पिता के उत्तराधिकार से वंचित किये जाने के लिये कोई कानूनी प्रावधान नहीं है तथा पुत्रियों के उपलब्ध होने पर उनकों छोड़कर मृतक के भतीजों को उत्तराधिकार दिये जाने बाबत् भी कानूनी प्रावधान नहीं हैं, तद्नुसार मूल नामान्तरकरण के निर्णय में तथा प्रथम अपील के निर्णय में हम किसी प्रकार की त्रुटी नहीं पाते। अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 19/07/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। मिसल शुमार फैसल हो।

(एल.एन.मंत्री)
अति. संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official